राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–2777/2024

राजेश कुमार मीणा

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निबंधक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
3. जिला कलेक्टर (भू अभिलेख), टोंक।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 03.09.2024
आदेश की दिनांक : 09.09.2024
उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री लक्ष्मी कांत शर्मा, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (संवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी पटवारी के पद पर पटवार मण्डल, कैरोद, तह. उनियारा जिला टोंक में कार्यरत है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि वरिष्ठ पटवारी/भू अभिलेख निरीक्षक के पद पर वर्ष 2023–24 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति हेतु दिनांक 31.08.2023 को विज्ञप्ति जारी हुई है, जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 2525 पर अंकित है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का आगे तर्क है कि आदेश दिनांक 22.01.2019 के द्वारा सीसीए नियमों के नियम–17 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही में अपीलार्थी की एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया था, जिस दण्ड को संभागीय आयुक्त, अजमेर द्वारा आदेश दिनांक 17.01.2023 के द्वारा रद्द कर दिया गया था। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि उक्त सजा रद्द किये जाने के पश्चात

अपीलार्थी वर्ष 2022–23 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति प्राप्त करने का अधिकारी होता है, लेकिन अपीलार्थी को उक्त पदोन्नति प्रदान न करते हुए अपीलार्थी को वर्ष 2023–24 की रिक्तियों के विरूद्ध वरिष्ठता सूची में क्रम संख्या 2525 पर रखा गया है, जो उचित नहीं है।

3. हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

4. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 4 सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे है वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे है कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

5. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)